30/3/22 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उप०

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि उक्त मामलात में मृतक खातेदार की कृषि भूमि 394 स्थित [illegible] राजस्व रिकॉर्ड पर काबिज काश्त है। सभी पक्षकारों को अप्रार्थी के रूप में संयोजित किया। बंटवारा नहीं करवाया है तो इस वाद विचाराधीन है। बंटवारे में समय अपेक्षित है। उक्त पक्षकारों को पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें न ही किसी अन्य से करावें। इसी प्रकार वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि [illegible] नामी [illegible] के बेचान रजिस्टर्ड पर है जो 23/7/1979 खसरा 394 रकबा 3.16 [illegible] बीघा [illegible] बेचान रजिस्ट्री की गई है। पत्रावली दस्तावेज के खातेदार [illegible] काबिज है। बेचान अपने आप

6

रा.मु.जो.

में शुरू हो गयी दावा लगाया इसका पता
चला। सीलिंग एवं दूसरे के कब्जे
काश्त में हस्तक्षेप की मांग जबकि
मुकदमा इस्तगासा प्रति शामलाती कब्जा।
उभय बहस वकीलान सुनी बहस पर
मनन किया जाकर इति आदेश की निषेधाज्ञा
जारी की जाती है कि उभय पक्ष एवं
वाद के निस्तारण तक अपने मालकाना
खसरा नं 394 की भूमि की यथास्थिति
कायम रखी जावे। एवं दूसरे के कब्जे
काश्त में न तो किसी प्रकार की दखलन्दाजी
करेंगे एवं न ही किसी सम्बन्ध करेगा।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल
से काम ले

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
... शहर (जोधपुर)